-कुलदीप बब्बर, -याचिकाकर्ता

बनाम

. राज्य (चंडीगढ़ प्रशासन),—प्रतिवादी

आपराधिक विविध. नहीं। 73562/एम 2006

22 जनवरी 2007

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—एस.482—याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया | धारा 406/498-ए आईपीसी के तहत मामले में उसे संदेह का लाभ देकर शिकायतकर्ता की गवाही के अभाव में - पंजीकरण का आरोप याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठे मामले का - ट्रायल कोर्ट संज्ञान ले रहा है|याचिकाकर्ता द्वारा दायर शिकायत- मंजूरी के अभाव में शिकायत वापस ले ली गई| सीआरपीसी की धारा 197 के तहत. पी.सी.-मुकदमा चलाने का कोई मामला नहीं बनता,राज्य के अधिकारी-कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग-कार्यवाही का परिणाम हैनिरर्थक और कष्टकारी मुक़दमा-याचिका लागत रु. 20,000 सहित ख़ारिज कर दी गई |

निर्णय, जो याचिकाकर्ता ने इस याचिका के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिया है, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश की. एक बार मजिस्ट्रेट को पकड़ लिया गया |एक शिकायत, याचिकाकर्ता के पास इसके तार्किक अंत तक ले जानाउस पर मुकदमा चलाने का विकल्प था। हालाँकि, ऐसा नहीं किया गया था याचिकाकर्ता को ही सबसे अच्छे से मालूम हैं। इसके अलावा, उसकी एकमात्र शिकायत थी |उनके अनुसार यह एक झूठा अभियोजन प्रतीत होता है, जो कि वहन किया गया है |। फैसले का अवलोकन इससे पता चलता है शिकायतकर्ता की गवाही के अभाव में उसे कि याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया ।एक आपराधिक मामले में मुकदमा विभिन्न कारकों और हर बरी होने पर निर्भर करता है,इसका मतलब दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का संकेत होना जरूरी नहीं है। वहाँ है,रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रथम दृष्टया यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ता किसी भी दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के अधीन किया गया था।

(पैरा 5)

निर्णय, कि किसी भी स्थिति में सहारा लेना होगा ,दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाहीएफआईआर दर्ज करने में शामिल अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन शुरू करना असफल अभियोजन का परिणाम समाधान नहीं है।

महेश ग्रोवर, जे. (मौखिक)

(1) यह संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका है,आपराधिक प्रक्रिया की जिसमें निम्नलिखित प्रार्थनाएँ हैं

बनाया गया :

1. राज्य (चंडीगढ़) को उचित निर्देश जारी करनाप्रशासन) विचार कर समय सीमा में निस्तारण तरीके से करें , मौखिक आदेश पारित करके, याचिका/आवेदन, दिनांक 16 फरवरी, 2005 को उन्हें दिया गया,महामहिम पंजाब के राज्यपाल एवं प्रशासक, के तहत याचिकाकर्ता को अनुमति देने के लिए चंडीगढ़ धारा 197 सी.आर.पी.सी. अधिकारियों अर्थात डी.एस.पी. पर मुकदमा चलाने के लिए अर्जन सिंह जग्गी, इंस्पेक्टर/एसएचओ मस्तान सिंह, एस.आई. सरवन सिंह, एल./एस.आई. गीता शर्मा एवं एल./एस.आई. कुलवीर चंडीगढ़ पुलिस के कौर को उनके कृत्यों के लिए और पंजीकरण के दौरान की गई चूक, मामले की जांच एवं सुनवाई/एफआईआर संख्या 36, दिनांक 23 अप्रैल, 1998, पुलिस स्टेशन, सेक्टर 19, चंडीगढ़ धाराओं के तहत माननीय विचारण न्यायालय द्वारा धारा 406/498-ए आईपीसी का निस्तारण किया गया |

2. प्रतिवादी (राज्य यानी) को उचित निर्देश जारी करना ,चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन) प्रथम पंजीकरण करने के लिएधारा 34, 109, 114, 116, 118 के तहत सूचना रिपोर्ट, 119, 166, 167, 120-बी, 182, 193, 196, 201, 211, 218, 323, 327, 347, 355, 384, 385, 387, 389, 406, 420, 424, 452, 465, 467, 468, 469, 471, 474, 494, 500, 506 आई.पी.सी., के पैरा क्रमांक 60 से 92 में वर्णित 33 आरोपियों के विरूद्ध इस आवेदन के लिए अनुलग्नक पी-7;

3. की जांच के लिए उचित निर्देश जारी करना,याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने की परिस्थितियाँ चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा झूठा मामला/एफआईआर (प्रतिवादी), केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी द्वारा चंडीगढ़ पुलिस को छोड़कर अन्य स्वतंत्र एजेंसी।

(2) माना कि, याचिकाकर्ता ने पहले ही शिकायत दर्ज कर दी है,दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के प्रावधानों के तहत और इसका संज्ञान सक्षम न्यायालय द्वारा लिया गया था क्षेत्राधिकार। शिकायत के साथ याचिकाकर्ता ने एक याचिका भी दायर की |दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन पुलिस अधिकारियों और प्रतिवादियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शिकायत में. उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया और के खिलाफ उक्त आदेश क्षेत्राधिकार। शिकायत के साथ याचिकाकर्ता ने एक याचिका भी दायर की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन ,पुलिस अधिकारियों और प्रतिवादियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शिकायत में. उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया और के खिलाफ उक्त आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2005 को याचिकाकर्ता पुनरीक्षण में चला गया । पुनरीक्षण याचिका 27 मई 2006 को भी बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद याचिकाकर्ता शिकायत वापस लेने के लिए एक आवेदन दिया जिसे19 अगस्त, 2006 को स्वीकार कर लिया गया । उपरोक्त को वापस लेने का एकमात्र कारण शिकायत यह थी कि आपराधिक संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी दी गई थी |शिकायत में उल्लिखित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई थी |

(3) शिकायत में याचिकाकर्ता की एकमात्र शिकायत थी उसमें नामित 33 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए,याचिकाकर्ता, 23 तारीख की एफआईआर संख्या 36 प्राप्त करने में सहायक थे,अप्रैल, 1999 धारा 406/498-ए आईपीसी के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया |उसके खिलाफ, जिसके परिणामस्वरूप एक मुकदमा चला जिसमें वह बाद में था। यहां यह बताना जरूरी है कि याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया मुख्य रूप से शिकायतकर्ता रीना बब्बर के रूप में साक्ष्य के अभाव में क्या उसकी पत्नी अदालत के समक्ष गवाही देने में विफल रही।

(4) याचिकाकर्ता के अनुसार, उसमें सभी 33 व्यक्तियों का नाम है,उस पर झूठा मामला थोपने में अहम भूमिका निभाई थी और इसलिए उन्होंने धारा 34, 109, 114, 116, 118, 119 के तहत अपराध किया। 166, 167, 120-बी, 182, 193, 196, 201, 211, 218, 323, 327, 347, 355, 384, 385, 387, 389, 406, 420, 424, 452, 465, 467, 468, 469, 471, 474, 494, 500, 506 आई.पी.सी. यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता प्रार्थना की थी कि उक्त मामला इन व्यक्तियों से संबंधित हो जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया।

(5) याचिकाकर्ता ने इस याचिका के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रयास किया है दिनांक 11 अक्टूबर 2005 को याचिकाकर्ता पुनरीक्षण में चला गया। पुनरीक्षण याचिका27 मई 2006 को भी बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद याचिकाकर्ता शिकायत वापस लेने के लिए एक आवेदन दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया 19 अगस्त, 2006 को। उपरोक्त को वापस लेने का एकमात्र कारण शिकायत यह थी कि आपराधिक संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी दी गई थी |उल्लिखित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई थी |

(3) शिकायत में याचिकाकर्ता की एकमात्र शिकायत थी उसमें नामित 33 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए, जो, याचिकाकर्ता, 23 तारीख की एफआईआर संख्या 36 प्राप्त करने में सहायक था ,अप्रैल, 1999 धारा 406/498-ए आईपीसी के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया | उसके खिलाफ, जिसके परिणामस्वरूप एक मुकदमा चला जिसमें वह बाद में था। यहां यह बताना जरूरी है कि याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया | मुख्य रूप से शिकायतकर्ता रीना बब्बर के रूप में साक्ष्य के अभाव में क्या उसकी पत्नी अदालत के समक्ष गवाही देने में विफल रही।

(4) याचिकाकर्ता के अनुसार, उसमें सभी 33 व्यक्तियों का नाम है,उस पर झूठा मामला थोपने में अहम भूमिका निभाई थी और इसलिए उन्होंने धारा 34, 109, 114, 116, 118, 119 के तहत अपराध किया। 166, 167, 120-बी, 182, 193, 196, 201, 211, 218, 323, 327, 347, 355, 384,385, 387, 389, 406, 420, 424, 452, 465, 467, 468, 469, 471, 474, 494,500, 506 आई.पी.सी. यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता प्रार्थना की थी कि उक्त मामला इन व्यक्तियों से संबंधित हो,जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया।

(5) याचिकाकर्ता ने इस याचिका के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रयास किया है | क़ानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करें. एक बार मजिस्ट्रेट को एक शिकायत पकड़ ली गई,याचिकाकर्ता के पास उस पर मुकदमा चलाने और उसे लेने का विकल्प था, याचिकाकर्ता को सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है,इसके तार्किक अंत तक. हालाँकि, कारणों से ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा, उनकी एकमात्र शिकायत सामने आती है,उनके अनुसार, यह एक झूठा अभियोजन है, जो कि पैदा हुआ है,उसे बरी कर दिया गया। फैसले के अवलोकन से यह पता चलता है,याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया। एक आपराधिक मामला विभिन्न कारकों पर आधारित होता है और प्रत्येक को बरी करने की आवश्यकता नहीं होती है इसका मतलब दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का संकेत है। किसी भी दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के अधीनरिकॉर्ड जो प्रथम दृष्टया सुझाव देगा कि याचिकाकर्ता था।कुलविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और दूसरा (विजेन्दर जैन, सी.जे.)

339

(6) किसी भी स्थिति में कार्यवाही का सहारा लेना अभियोजन कोई उपाय नहीं है.अभियोजन शुरू करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 एफआईआर दर्ज करने में शामिल अधिकारियों के खिलाफ असफल रही |

(7) दूसरे को निर्देश जारी करने की प्रार्थना, राज्य के पदाधिकारियों को अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देनी होगी| उन्हें अभ्यावेदन में जो नाम दिया गया है, उसे प्रथम दृष्टया मंजूर नहीं किया जा सकता | इस अदालत की राय है कि उनके अभियोजन के लिए ऐसा कोई Sमामला नहीं है, उपरोक्त कारणों से बनाया गया है।

(8) कानून का और निरर्थक और कष्टप्रद मुकदमेबाजी का परिणाम वर्तमान कार्यवाही स्पष्ट रूप से प्रक्रिया का दुरुपयोग है । याचिका तदनुसार 50,000 रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

(9) इस स्तर पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रार्थना की, एक उदार दृष्टिकोण के लिए ईमानदारी से. इसे देखते20,000 रुपये की लागत के साथ हुए याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित दनणणय वा ी के सीदमत उपयोग के दिए है तादक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और दकसी अन्य उद्देश्य के दिए इसका उपयोग नहीं दकया जा सकता है । सभी व ् यवहाररक और आदिकाररक उद्देश्यो के दिए दनणणय का अींग्रेजी सींस्करण प्रमादणक होगा और दनष्पा िन और कायाणन्वयन के उद्देश्य के दिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

कुरुक्षेत्र